उत्तमा वृत्तिस्तु कृषिकर्मेव

Central Pool

Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner-334006

कमांक एफ/एसकेराकृवि/पूल/नीलामी/2023/ दिनांकः 08.09.2023

नीलामी सूचना–01/2023

इस विश्वविद्यालय के निम्नलिखित वाहन एवं वाहनों के पुराने पुर्जे, टायर व टयुब कूलर पार्टस, टूल्स कम्युटर व फर्नीचर इत्यादि की सार्वजनिक नीलामी यथा स्थिति में दिनांक 29.09.2023 प्रातः 11.00 बजे केन्द्रीय पूल परिसर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में की जायेगीः–

क.सं.	किस्म	वाहन संख्या
1.	बस (52 सीट)	आरज़े 07/पीए 3194
2.	बस (52 सीट)	आरजे 07/पीए 5667
3.	बस (52 सीट)	आरजे 07/पीए 5683
4.	मिनी बस	आरजे 07/पीबी 1694
5.	मारूति वैन	आरजे 07/यु 0156
6.	पुराने पुर्जे, टायर व टयुब कूलर पार्टस, टूल्स कम्युटर, ईलेक्ट्रोनिक्स आईटम,फर्नीचर, स्क्रेप व इत्यादि	——

नीलामी की शर्तों की जानकारी एवं सामान का निरीक्षण दिनांक 18.09.2023 से 27.09.2023 तक (कार्यालय समय एवं कार्य दिवस) के दौरान केन्द्रीय पूल परिसर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर किया जा सकता हैं।

नोटः– नीलामी संबंधी विस्तृत शर्ते विश्वविद्यालय की वेब साईट www.raubikaner.org पर भी उपलब्ध है।

पूल अधिकारी
Pool Officer
S K. Rajasthan Agriculture University
BIKANER

Tel. : 0151-2250437 (O) 2545175 (R) Fax : 0151-2250025 E-mail : cpool@raubikaner.org Web Site : www.raubikaner.org

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
केन्द्रीय पूल

नीलामी शर्तें

1. पुराने वाहन (जैसा है वैसी स्थिति में) एवं वाहनों के पुराने पुर्जे, कुलर पार्टस,फर्नीचर,कम्प्युटर व कम्प्युटर पार्टस, यूपीएस, बैट्रीज, प्रिटंर, इलैक्ट्रिक समान एवं अन्य पुराने समान का केन्द्रीय पूल कार्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में दिनांक 18.09.2023 से 27.09.2023 तक कार्यालय समय व कार्य दिवस के दौरान निरीक्षण किया जा सकता हैं।
2. नीलामी से पूर्व बोली लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रूपये 25000/—रू. (रू. पच्चीस हजार मात्र) धरोहर राशि नकद दिनांक 29.09.2023 को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक जमा करानी होगी । धरोहर राशि नीलामी पूर्ण होने पर वापस दी जावेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही केन्द्रीय पूल, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में बन्द परिसर पर की जावेगी। जिसमें केवल अधिकृत बोली लगाने वाले व्यक्तियों (जिन व्यक्तियों के पास धरोहर राशि की जमा रसीद हो) को ही प्रवेश दिया जावेगा। इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को उस स्थान पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
4. अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही नकद जमा करानी होगी व शेष राशि 15 दिन के भीतर जमा करानी पडेगी । पूर्व की बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा होने पर ही आगे की बोली लगाने का अधिकार होगा अन्यथा अग्रिम बोली नहीं लगा सकेगा। नीलामी की पूर्ण राशि जमा होने पर ही सामान सुपुर्द किया जायेगा। अगर बोलीदाता 15 दिन के भीतर बोली की पूर्ण राशि जमा नहीं करा पाता हैं तो उसके द्वारा जमा कराई गई 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. बिकि किये गये सामान की किसी भी प्रकार के कर (Tax) की जिम्मेदारी अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को वहन करनी होगी । कर (Tax) संबंधी कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात ही सामान सुपुर्द किया जावेगा।
6. किसी भी विवाद व अन्य मामलों में कमेटी का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
7. किसी भी बोली अथवा सम्पूर्ण नीलामी को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
8. अगर कमेटी की दृष्टि में सामान की अनुमानित राशि नीलामी द्वारा प्राप्त नहीं हो रही है तो कमेटी को उस सामान की नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. अगर सभी सामान की नीलामी दिनांक 29.09.2023 को पूर्ण नहीं होती हैं, तो शेष सामान की नीलामी अगले दिन दिनांक 30.09.2023 को भी जारी रहेगी।

पूल अधिकारी
Pool Officer
S.K. Rajasthan Agriculture University
BIKANER

बोली दाता का नाम व कमांक:

बोली दाता के हस्ताक्षर: